न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्ंया : 03/5/2021
तारीख दायरा : 03.11.2021

उनवान

1. कृष्ण अवतार बैरवा पुत्र नेतराम बैरवा जाति बैरवा निवासी गढी सवाईराम तहसील रैणी जिला अलवर

.............प्रार्थी।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर।
2. तहसीलदार साहब रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.............अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट.)

उपस्थित – श्री सतीश कुमार वर्मा एडवोकेट

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय :: दिनांक : 23.09.2022

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की कब्जे–काश्त व खातेदारी की आराजी हाल खाता संख्या 724 का आराजी खसरा नम्बर 1870/0.76 बारानी उत्तम, 1871/0.39 बारानी उत्तम, 1872/0.29 बारानी उत्तम कुल किता 3 कुल रकबा 1.44 है0 का हिस्सा 1/2 ग्राम गढी सवाईराम तहसील रैणी (अलवर) में स्थित है। जिस आराजी का प्रार्थी के पिताजी स्व0 नेतराम पुत्र छोटेलाल जमाबन्दी सम्वत् 2075–2075 के काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी खसरा नम्बरान को प्रार्थी के पिताजी स्व0 नेतराम पुत्र छोटेलाल जाति बैरवा ने जरिये बैयनामा छोटा पुत्र लाला कौम बैरवा से दिनांक 10.08.1977 को खरीद किया था। उक्त आराजी की हाल जमाबन्दी में प्रार्थी के पिताजी स्व0 नेतराम पुत्र छोटेलाल की जाति बैरवा के स्थान पर गलत तौर पर गुर्जर दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिताजी की जाति बैरवा है जो जाति प्रार्थी के पिताजी की खातेदारी की अन्य आराजी हाल खाता संख्या 53 के खसरा नम्बर 1622 व अन्य दस्तावेजों मे दर्ज है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिताजी की जाति गुर्जर के स्थान पर बैरवा दर्ज किया जाना सर्वथा न्यायोचित है। प्रार्थी के पिताजी की जाति बंदोबस्त 2046 में दर्ज नही की गई थी। अन्त में निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिताजी की जाति गुर्जर की जगह बैरवा संशोधित दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार रैणी से प्रकरण में तथ्यात्मक रिर्पोट प्राप्त की गई है। तहसीलदार रैणी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है

कि "हाल रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम गढी सवाईराम की जमाबन्दी सम्वत 2075–2075 के खाता संख्या 724 खसरा नम्बर 1870/0.76, 1871/0.39, 1872/0.29 किता 3 रकबा 1.44 है0 भूमि में आवेदक कृष्णावतार के पिता नेतराम पुत्र छोटेलाल 1/2 हिस्सा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। संलग्न रजिस्टर्ड बैयनामा 168/1977 द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1007 में नेतराम पुत्र छोटेलाल बैरवा द्वारा जमीन खरीद की गई है। संलग्न नक्शा छायापति दस्तावेज नामान्तकरण संख्या 545 द्वारा उक्त रजि0 बैयनामा का नामान्तकरण खरीददार नेतराम पुत्र छोटेलाल बैरवा के नाम दर्ज कर तस्दीक हुआ था। संलग्न नक्शा छायापति दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल 2046 के अनुसार उक्त खरीद साबिक खसरा नम्बर 1007 का हाल नम्बर 1870, 1871, 1872 बना हुआ है। उक्त रिकॉर्ड में आवेदक के पिता की जाति गुर्जर अंकित की गई है जो कि गलत अंकन दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी की बैरवा जाति शुद्ध किया जाना उचित है।"

वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–2075 खाता संख्या 724, जमाबन्दी सम्वत 2075–2075 खाता संख्या 53, मिलान क्षेत्रफल 2046, जमाबन्दी सम्वत 2046–2065, नामान्तकरण संख्या 545, जमाबन्दी सम्वत 2030–2033, रजि0 बैयनामा वाके ग्राम गढी सवाईराम, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रैणी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जैसा कि रिपोर्ट तहसीलदार रैणी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी के सही होने की पुष्टि की है तथा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थी के पिताजी की जाति बैरवा ही है। इसप्रकार तहसीलदार रैणी की जॉच रिपोर्ट व प्रार्थी की और से पुष्टि में प्रस्तुत उक्तानुसार दस्तावेज से प्रार्थी के पिताजी की जाति गुर्जर के स्थान पर बैरवा होने की पुर्णरूप से पुष्टि होती है। तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रैणी को निर्देश दिये जाते है कि हाल खाता संख्या 724 खसरा नम्बर 1870/0.76, 1871/0.39, 1872/0.29 किता 3 रकबा 1.44 है0 वाके ग्राम गढी सवाईराम तहसील रैणी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिताजी की जाति गुर्जर के स्थान पर बैरवा दर्ज किया जावे। निर्णय प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवायी जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)